

8-17

अनुमति दी जाती है।

- (i) उक्त भवन/सुलभ के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विद्या नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

सखल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी
 कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 600 दिनांक 18/03/2019

प्रार्थी श्रीमति **श्रीमती तनवीर शेख एवं श्री तनवीर शेख** ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानाचित्र कार्यालय में पेश कर स्थानिक निर्माण शुल्क **₹ 28,254** जमा करितये रसौद संख्या **CP No: 1021/5223, 5224** दिनांक **18/03/2019** को जमा करा दी है।

(Signature)
 प्रारूपकार
 नगर निगम, जोधपुर

जी+1
 आवासीय

(Signature)
 02/04/19
 00/027054